[2021] 4 एस. सी. आर. 100

सम्बंधित: पहचान संबंधी दिशानिर्देश जारी करने के लिए

आपराधिक मुकदमों में असमानताएँ और कमियाँ

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

(सुओ मोटो राइट (आपराधिक) संख्या 01/2017)

20 अप्रैल, 2021

[मुख्य न्यायाधीश, एस. ए. बोबडे, एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भाट, न्यायमूर्तिगण]

आपराधिक मुकदमेः त्वरित और निष्पक्ष अपराधी के लिए मसौदा नियम

आपराधिक मुकदमे और निचली अदालतों द्वारा अपनाई गई कुछ प्रथाएं आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ आपराधिक मामलों के निपटारे में, जिससे लंबी कार्यवाही होती है यह भी कि उच्च न्यायालयों की प्रथाओं और नियमों में अपर्याप्तता, और एक समान दृष्टिकोण की वांछनीयता–इस न्यायालय द्वारा सभी उच्च न्यायालयों, राज्यों के महापंजीयकों को नोटिस जारी करना।

सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपना जवाब दाखिल करेंगे –

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों द्वारा दायर जवाब इसके बाद, हितधारकों द्वारा तैयार किए गए आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2020 और कहा गया कि इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किए गए मसौदा नियम–उच्च न्यायालयों ने फिर से मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया दायर करने के लिए कहा।

कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के बारे में आरक्षण या मतभेद–इसके बाद, इस न्यायालय ने मसौदा नियमों और उनके संदर्भ में अंतिम रूप दिए गए मसौदा नियमों में आवश्यक संशोधन किए–इसके मद्देनजर, सभी उच्च न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के हिस्से के रूप में आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2021 को शामिल करने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए, और यह सुनिश्चित किया गया कि मौजूदा नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और व्यवहार निर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया जाए–राज्य सरकारों के साथ–साथ भारत संघ को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी पुलिस और अन्य नियमावली में परिणामी संशोधन करने के लिए–न्यायिक सूचना–भारत का संविधान–कला। 32

बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम। गुजरात राज्य (2001) 3

एससीसी 1: [2001] 2 एस. सी. आर. 29–संदर्भित।

100 इन आरईः आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

मामला कानून संदर्भ

[2001] 2 एससीआर 29 पैरा 12 संदर्भित किया गया है

मौलिक न्यायनिर्णयः सुओ मोटो राइट (सी. आर. एल.) नं. 01 में से

2017 .

(संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही करते हुए सुओ मोटू)

के. एम. नटराज, विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी। , डी. एस. परमार, सौरभ

परमेश्वर, एम. वी. मुकुंद, ए. कार्तिक, महक जग्गी, विष्णु, सुश्री ए. श्रीगुरुप्रीया, आनंद कन्नन एन., प्रणय रंजन, अनमोल चंदन, सचिन शर्मा, सुश्री नीला गोखले, बी. वी. बलराम दास, राज बहादुर यादव, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, ए. डी. एन. राव, गुंटूर प्रभाकर, अभिमन्यु तिवारी, सुश्री एलिजा बार, सुबोध एस. पाटिल, सुश्री सुप्रिया पाटिल, शेखर राज शर्मा, संजय कुमार विसेन, अमित गुप्ता, वी. बालचंद्रन, सिद्धार्थ नायडू, सुश्री आभा आर. शर्मा, केश कटनेश्वरकर, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री अनुपमा एनजी। , करुण शर्मा, अविजीत मणि त्रिपाठी, शौर्य सहाय, पी. एस. नेगी, सुश्री अरुणा माथुर, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, अवनीश अर्पुथम, मेसर्स। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, गोपाल झा, श्रेयश भारद्वाज, सुश्री शशि जुनेजा, सतीश पांडे, जतिंदर कुमार भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, सुश्री गरिमा प्रसाद, चंचल कुमार गांगुली, यजुर भल्ला, दीपक समोटा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, शुभम भल्ला, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री स्नेहा कलीता, सुश्री मनीषा अंबवानी, अंभोज कुमार सिन्हा, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, मुकेश के. गिरि, नरेश के. शर्मा, शुभोदीप रॉय, कबीर शंकर बोस, मुकुल कुमार, अशोक माथुर, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, प्रवर वीर मिश्रा। केएसएन एंड कंपनी, पी. आई. जोस, संजय कुमार पाठक, अरविंद [2021] 4 एस. सी. आर. कुमार त्रिपाठी, सुश्री शशि पाठक, सुश्री आस्था शर्मा, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, विनय मैथ्यू, अनिल नाग, अनमोल नाग, अरुण सिंह, सुरजेन्दु शंकर दास, सुश्री एनी मित्तल, महफूज ए. नाजकी, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, अमिताभ सिन्हा, श्रेय शर्मा, राघवेंद्र कुमार, आनंद कुमार दुबे, नरेंद्र कुमार, साहिल टागोत्रा, एम. योगेश कन्ना, राजा।

राजेश्वरन एस., आदित्य चड्ढा, सुश्री उमा प्रसुन बाचू, सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघत, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, सुश्री विपाशा सिंह, हिमांशु शेखर, जमनश कुमार, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, सुश्री।

रचना श्रीवास्तव, वी. एन. रघुपति, समीर पारेख, क्षत्रशाल राज, सुश्री तान्या चौधरी, सुश्री प्रत्युषा प्रियदर्शिनी, सुश्री नितिका पांडे, मैसर्स। पारेख एंड कंपनी, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, जी. प्रकाश, अभिषेक मनचंदा, पी. एल. आर. चैंबर्स एंड कंपनी के लिए निखिल परीक्षित, तपेश कुमार सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. अनुच्छेद 32 के तहत यह स्वतः संज्ञान कार्यवाही एक आपराधिक अपील 1 की सुनवाई के दौरान शुरू की गई थी। न्यायालय ने सामान्य रूप से देखा

आपराधिक मुकदमों के दौरान होने वाली कमियां और आपराधिक कार्यवाहियों के साथ-साथ आपराधिक मामलों और कारणों के निपटारे में निचली अदालतों द्वारा अपनाई गई कुछ प्रथाएं। ये, अन्य बातों के अलावा, उस तरीके से संबंधित हैं जिसमें दस्तावेजों (यानी गवाहों की सूची, प्रदर्शनों की सूची,

भौतिक वस्तुओं की सूची) को प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। निर्णय, और चोट रिपोर्ट तैयार करने, गवाहों के बयान, बयानों के अनुवाद के संबंध में समान प्रथाओं की कमी,

गवाहों की संख्या और नामकरण, भौतिक वस्तुओं की लेबलिंग, आदि। ये अक्सर विषमताओं का कारण बनते हैं और साक्ष्य की सराहना में बाधा डालते हैं, जो बदले में विशेष रूप से अपीलीय चरणों में कार्यवाही को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है।

2. न्यायालय ने देखा था कि इन प्रमुख पहलुओं पर, नियम

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा तैयार किए गए हैं, जबकि कई अन्य उच्च न्यायालयों ने ऐसे नियम नहीं बनाए हैं। इससे निचली अदालत की प्रस्तुति के संबंध में स्पष्टता और एकरूपता की कमी हो गई है

उच्च न्यायालय स्तर पर और अंततः इस न्यायालय के समक्ष प्रशंसा के उद्देश्य से कार्यवाही और अभिलेख।

1 Crl.A.400/2006 और आरई में संबंधित मामलेः

आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

3. दिनांक 30.03.2017 के एक विस्तृत आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने विभिन्न मुख्य पहलुओं को नोट किया और प्रथाओं और नियमों में अपर्याप्तताओं को चिह्नित किया

उच्च न्यायालय कुछ उच्च न्यायालयों में मौजूदा नियमों से संकेत लेकर 2. लगभग 13 मुद्दों पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने एक समान दृष्टिकोण की वांछनीयता महसूस की–प्रदर्शन के विवरण, गवाहों के बयानों को दर्ज करने के तरीके और विवरण, भौतिक वस्तुओं की लेबलिंग आदि में। इसलिए न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयकों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ–साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महाधिवक्तों, अतिरिक्त महाधिवक्तों और वरिष्ठ स्थायी वकीलों को नोटिस जारी किया। आई. डी. 1 के बाद के एक आदेश द्वारा, अदालत ने श्री सिद्धार्थ लूथरा और श्री आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नियुक्त किया। 20.02.2018 पर, श्री के. परमेश्वर, विद्वान वकील को वरिष्ठ वकील की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिन्हें पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया था। सभी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ–साथ उच्च न्यायालयों को अपने महापंजीयकों के माध्यम से सुझावों के साथ अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. जनवरी 2019 तक 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 21 उच्च न्यायालयों ने इस अदालत के समक्ष जवाब दाखिल कर दिए थे। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर, न्याय मित्र ने एक परामर्श पत्र विकसित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मसौदा नियम भी शामिल थे। मसौदा नियमों को 18.02.2019 दिनांकित एक पत्र द्वारा सभी पक्षों को वितरित किया गया था। हितधारकों से लिखित प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गईं और इस उद्देश्य के लिए नई दिल्ली में भारत में एक बोलचाल का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 30.03.2019 पर। इस परिचर्चा में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5. वार्तालाप के दौरान दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद, न्यायमित्र ने इस अदालत के विचार के लिए "आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2020" प्रस्तुत किया। मसौदा नियम तैयार करते समय एकरूपता सुनिश्चित करने और साथ ही देश में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों और उच्च न्यायालयों के बीच विविध प्रथाओं को पहचानने के लिए उचित ध्यान रखा गया था। मसौदा नियम अनुरूप हैं और किसी भी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रतिकूल नहीं हैं। अभ्यास निर्देशों के रूप में दिए गए कई सुझाव दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनिवार्य प्रावधानों को दर्शाते हैं।

6. बाद में 27.10.2020 और 19.01.2021 के आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालयों को एक बार फिर मसौदे पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

2 केरल आपराधिक व्यवहार नियम, 1982; आंध्र प्रदेश आपराधिक व्यवहार नियम और परिपत्र आदेश, 1990 आदि।

आपराधिक व्यवहार के नियम, 2020। उस आदेश के अनुसार, सभी उच्च न्यायालयों ने अपनी प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाओं का सारांश दाखिल किया। 7. सुनवाई के दौरान, इस अदालत ने देखा कि कुछ पहलुओं को छोड़कर अधिकांश सुझावों पर सहमति हो गई थी। कुछ उच्च न्यायालय,

मसौदा नियमों को स्वीकार करते हुए उन्हें विस्तृत और पूरक बनाने की भी मांग की गई, जो एक स्वागत योग्य कदम है।

8. उच्च न्यायालयों ने सर्वसम्मति से इस सुझाव का स्वागत किया

अभियोजन पक्ष को जांच से अलग करना, (अर्थात मसौदा नियम, 2020 में नियम 18) जो यह प्रावधान करता है कि लोक अभियोजकों से अलग वकीलों की एक अलग टीम को जांच के दौरान पुलिस को सलाह देनी चाहिए।

जांच पड़ताल की। हालाँकि, जैसा कि कई उच्च न्यायालयों ने बताया है, यह एक ऐसा कदम है जिसे राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह, उच्च न्यायालयों ने एक समान तरीके का स्वागत किया जिसमें शरीर के रेखाचित्र, स्पॉट पंचनामा आदि को रिकॉर्ड पर लाया जाना है (मसौदा नियम 1–4)। हालांकि, उनका कहना है कि इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी जांच एजेंसियों पर है।

9. इस अदालत की राय है कि प्रतिक्रियाओं का अवलोकन

यह इंगित करता है कि उच्च न्यायालयों ने कुछ मसौदा नियमों के प्रति अपनी आपत्तियों का संकेत दिया है। ये इस प्रकार हैं:

(1)

बयान का अनुवाद [मसौदा नियम 6 (i) (ii)]–उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु।

(2)

नियम 9)–इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, कलकत्ता–उच्च न्यायालयों ने सुझाव दिया है कि गवाह, अभियुक्त आदि को सौंपे गए नंबरों के साथ–साथ नाम भी हो सकते हैं – भ्रम से बचने के लिए उपयोग किया जाता है।

(3)

दिन–प्रतिदिन की सुनवाई की आवश्यकता वाला नियम (नियम 19 (i))–मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा।

10. इन कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने उच्च न्यायालयों की ओर से उन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा, जहां –

या तो अपनाई जाने वाली प्रथा के बारे में राय में भिन्नता थी, या कुछ आरक्षण था।

11. न्यायमित्र ने बताया कि मुकदमे की शुरुआत में,

अभियुक्तों को केवल उन दस्तावेजों और बयानों की सूची दी जाती है जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता है और अन्य सामग्री के बारे में अंधेरे में रखा जाता है।

आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

जो पुलिस या अभियोजन पक्ष के कब्जे में हो सकता है, जो दंडात्मक प्रकृति का हो सकता है, या अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है या उसकी मदद कर सकता है। यह अदालत यह राय है कि धारा 207/208, सी. आर. के तहत बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते समय। पी. सी., मजिस्ट्रेट

यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सामग्रियों की एक सूची (जैसे बयान, या जब्त की गई वस्तुएं/दस्तावेज, लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया है) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अभियुक्त। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि अभियुक्त का विचार है कि ऐसी सामग्री को उचित और न्यायपूर्ण मुकदमे के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उचित आदेश मांग सकता है। पी. सी. 3 न्याय के हित में मुकदमे के दौरान उन्हें पेश करने के लिए। यह निर्देशित है

तदनुसार; प्रारूप नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया है। [नियम 4 (i)]

12. विद्वान मित्रों ने बताया कि इस प्रथा को अपनाया गया

मुख्य रूप से सभी मुकदमों में बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम में इस अदालत के फैसले द्वारा निर्देशित किया जाता है। आपत्तियों के संबंध में 'गुजरात राज्य' गवाहों के सामने रखे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। इस अदालत ने आपत्तियों पर तुरंत निर्णय लेने की प्रथा को "पुरातन" करार दिया था और संकेत दिया था कि उसे जो उचित लगा वह एक उचित मार्ग थाः

" यह एक पुरातन प्रथा है कि साक्ष्य एकत्र करने के दौरान
जब भी कोई आपत्ति उठाई जाती है
साक्ष्य में किसी भी सामग्री की स्वीकार्यता अदालत नहीं करती है
ऐसी आपत्ति पर आदेश पारित किए बिना आगे बढ़ें। लेकिन

उपरोक्त अभ्यास का पतन इस प्रकार हैः मान लीजिए कि मुकदमा अदालत, एक मामले में, एक विशेष आपत्ति को बरकरार रखती है और बाहर करती है

साक्ष्य में स्वीकार किए जाने से सामग्री और फिर आगे बढ़ता है

391. दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए समन।

(1) जब भी कोई न्यायालय या किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह समझता है कि इस संहिता के तहत किसी भी जांच, जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी भी दस्तावेज या अन्य चीज़ को पेश करना आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या चीज़ माना जाता है, समन जारी कर सकता है, या ऐसे अधिकारी को एक लिखित आदेश जारी कर सकता है, जिसमें उसे समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होने और पेश करने या पेश करने की आवश्यकता होती है।

(2) इस धारा के तहत केवल एक दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए अपेक्षित किसी भी व्यक्ति को यह माना जाएगा कि उसने मांग का पालन किया है, अगर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय ऐसे दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करता है।

(3) इस धारा की कोई भी बात (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) की धारा 123 और 124 को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी या (ग) डाक या तार प्राधिकरण की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज़ पर आवेदन करना।

मुकदमे के साथ और अंत में मामले का निपटारा करता है। यदि अपील

या पुनरीक्षण न्यायालय, जब एक ही प्रश्न का पुनः प्रचार किया जाता है, तो उस सामग्री की स्वीकार्यता पर एक अलग दृष्टिकोण ले सकता है, ऐसे मामलों में अपीलीय न्यायालय उस साक्ष्य के लाभ से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसे निचली अदालत द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को उस साक्ष्य को दर्ज करने और फिर मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए मामले को वापस निचली अदालत में भेजना पड़ सकता है। हमारे द्वारा बनाई गई प्रथाओं के कारण मुकदमे को अनावश्यक रूप से क्यों लंबा किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रथाओं को, जब लंबी अवधि के दौरान यह महसूस किया जाता है कि वे बाधाएं हैं जो मुकदमे की कार्यवाही की स्थिर और तेज प्रगति में बाधा डालती हैं, तो बेहतर विकल्पों के लिए रास्ता देने के लिए उन्हें फिर से तैयार किया जाना चाहिए या फिर से ढाला जाना चाहिए जो मुकदमे की कार्यवाही को तेज करने में मदद करेंगे।

किसी भी सामग्री की स्वीकार्यता के संबंध में मंच लेना या मौखिक साक्ष्य की वस्तु विचारण न्यायालय ऐसी आपत्ति का उल्लेख कर सकता है और आक्षेपित दस्तावेज को मामले में एक प्रदर्शन के रूप में अस्थायी रूप से चिह्नित कर सकता है (या मौखिक साक्ष्य के आक्षेपित हिस्से को दर्ज कर सकता है) बशर्ते ऐसी आपत्तियों पर अंत में निर्णय लिया जाए।

अंतिम निर्णय में चरण। यदि न्यायालय अंतिम चरण में पाता है कि इस प्रकार उठाई गई आपत्ति स्थायी है तो न्यायाधीश या

मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य को बाहर रख सकते हैं। विचार करें। हमारे विचार में गोद लेने में कोई अवैधता नहीं है।

ऐसा कोर्स। (हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आपत्ति किसी दस्तावेज़ के स्टाम्प शुल्क की कमी से संबंधित है तो अदालत

आगे बढ़ने से पहले आपत्ति पर निर्णय लेना होता है। अन्य सभी आपत्तियों के लिए ऊपर सुझाई गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है)। यदि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो इसके दो लाभ होंगे। पहला यह है कि निचली अदालत में साक्ष्य लेने के दौरान इस तरह की आपत्तियां उठाने के कारण समय बर्बाद नहीं होगा और अदालत गवाहों से पूछताछ जारी रख सकती है। गवाहों को दिन नहीं तो लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यह है कि जब उसी आपत्ति का पुनः प्रचार किया जाता है और निचली अदालत के अंतिम फैसले के खिलाफ अपील या संशोधन में पुनर्विचार किया जाता है, तो निचली अदालत उस आपत्ति के संबंध में निचली अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता का निर्धारण कर सकती है, मामले को आरई में भेजने की जहमत उठाए बिनाः
आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

नए सिरे से निपटारे के लिए फिर से निचली अदालत में। हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि यह उपाय मुकदमे के पक्षों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा और उनके दुख या पीड़ा को नहीं बढ़ाएगा।

खर्च। ”

13. न्यायमित्र द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रक्रिया, जिसके द्वारा अदालतें आपत्तियों की परवाह किए बिना सभी प्रश्नों के उत्तर दर्ज करती हैं,

लंबी और लंबी प्रतिपरीक्षा, और अधिक बार नहीं, आरोप या अभियुक्त की भूमिका से कोई संबंध नहीं रखने वाले अप्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड में लाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर बहुत पूर्वाग्रह होता है। यह इंगित किया गया है कि बिपिन शांतिलाल पांचाल (उपरोक्त) में अनिवार्य प्रथा के कारण, ऐसी सामग्री न केवल अभिलेख में प्रवेश करती है, बल्कि पूर्वाग्रह का कारण भी बनती है, जो तब बहुत बढ़ जाती है जब अपीलीय न्यायालय को निर्णय लेना होता है

मुद्दा। अक्सर, यह देखते हुए कि मुकदमे लंबे समय तक चलते हैं, निचली अदालतें अंतिम चरण में इन आपत्तियों पर फैसला नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी वकील दलीलों को संबोधित नहीं करता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिपिन शांतिलाल पांचाल (उपरोक्त) में नियम पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

14. एक मुकदमे के दौरान, धारा 132 के संदर्भ में, प्रत्येक गवाह उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है जो उससे पूछे जाते हैं; हालाँकि, यह इसके अधीन है –

यह चेतावनी कि वह मौन रहने का दावा करने का हकदार है, यदि जवाब संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के आधार पर उसे दोषी ठहराते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश जो आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता करता है, उसके पास अधिकार होता है और

गवाहों से पूछे गए प्रश्नों की वैधता या प्रासंगिकता पर निर्णय लेना उनका कर्तव्य है। यह धारा 148 सी. आर. में पाया जाता है। पी. सी., जो इस प्रकार हैः

“ 148. अदालत यह तय करेगी कि कब सवाल पूछा जाएगा और कब गवाह को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। – यदि ऐसा कोई प्रश्न किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो वाद या कार्यवाही से प्रासंगिक नहीं है, सिवाय इसके कि

जहाँ तक यह गवाह को घायल करके उसके श्रेय को प्रभावित करता है

चरित्र, न्यायालय यह तय करेगा कि गवाह है या नहीं इसका जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा, और यदि वह उचित समझे, तो चेतावनी दे सकता है

गवाह कि वह इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है।

अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि

निम्नलिखित विचारः

(1) ऐसे प्रश्न उचित हैं यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा व्यक्त किए गए आरोप की सच्चाई अदालत की राय को गंभीरता से प्रभावित करेगी।

जिस मामले में वह गवाही देता है उस पर गवाह;

(2) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि वे जो आरोप लगाते हैं वह समय में इतने दूर के मामलों या ऐसे चरित्र के मामलों से संबंधित है कि आरोप की सच्चाई उस मामले पर गवाह की विश्वसनीयता के बारे में अदालत की राय को प्रभावित नहीं करेगी, या थोड़ी सी हद तक प्रभावित करेगी, जिसके लिए वह गवाही देता है।

(3) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं यदि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप के महत्व के बीच एक बड़ा अनुपात है।

गवाह का चरित्र और उसके साक्ष्य का महत्व;

(4) न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो गवाह द्वारा उत्तर देने से इनकार करने से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि यदि उत्तर दिया जाता है तो प्रतिकूल "

15. धारा 148 के अलावा, साक्ष्य अधिनियम (धारा 149–154) के अन्य प्रावधान हैं जो प्रतिपरीक्षा के लिए आधार नियमों को परिभाषित करते हैं। पूछताछ के दौरान, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिपरीक्षा की मांग करने वाले पक्ष के वकील को काफी छूट है; प्रतिपरीक्षा मुद्दे के मामलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रासंगिक तथ्यों तक फैली हुई है। हालाँकि, यदि अदालत को कार्यवाही के दौरान यह निर्णय देने का अधिकार नहीं है कि क्या पूछताछ की एक पंक्ति प्रासंगिक है, तो खतरा रिकॉर्ड में दर्ज अप्रासंगिक, अस्पष्ट और सट्टा उत्तरों में निहित है। इसके अलावा, के आधार पर

(बाद में अप्रासंगिक, अस्पष्ट या अन्यथा अस्वीकार्य प्रश्न निकले) अधिक प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। यदि अधिकांश गवाहों के मामले में इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, तो रिकॉर्ड में अप्रासंगिक विवरणों की गड़बड़ी होगी, जो अधिक से अधिक विचलित करने वाला हो सकता है, और सबसे खराब, आरोपी के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए, इस अदालत की राय है कि बिपिन शांतिलाल पांचाल के विचार को बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए। अतः पीठासीन अधिकारी को कार्यवाही के दौरान प्रश्नों पर आपत्तियों पर निर्णय लेना चाहिए, या बयान के अंत में इसमें विफल होना चाहिए।

संबंधित गवाह। इसके परिणामस्वरूप अभिलेख अव्यवस्थित हो जाएगा, और इसके अलावा, तुच्छ आपत्तियों को रोकने का एक हितकारी प्रभाव भी पड़ेगा। इन मामलों में, यदि अदालत की राय है कि

बार–बार आपत्तियां उठाई गई हैं, तो बाधा की प्रकृति और पूछताछ की प्रवृत्ति के आधार पर लागत का उपचार किया जा सकता है।

तदनुसार, बिपिन शांतिलाल पांचाल में अनिवार्य प्रथा

उपरोक्त शब्दों में संशोधित किया गया है।

16. राज्यों और उच्च न्यायालयों की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि मसौदा नियमों में प्रावधान, जिसके लिए आवश्यक है कि परीक्षण आरई में आयोजित किए जाने चाहिएःआपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

रोजमर्रा के तरीके से इसका पालन नहीं किया जा सकता। यह तर्क दिया गया था कि

अदालतों को अक्सर गवाहों की अनुपलब्धता या बचाव पक्ष के वकील या अभियोजक की अनुपस्थिति के कारण मामलों को स्थगित या स्थगित करना पड़ता है। विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि यह देखते हुए कि आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होता है, अभियोजन पक्ष के गवाह मुकदमे की तारीखों पर उपलब्ध होने चाहिए, इस साधारण कारण से कि आरोप साबित करने के लिए उन पर भरोसा किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस अदालत को इंगित करना चाहिए

कि जहाँ तक संभव हो, विचारण न्यायालय को प्रत्यक्षदर्शियों, अन्य भौतिक गवाहों, औपचारिक गवाहों, विशेषज्ञ गवाहों आदि के संदर्भ में गवाह के बयान का अनुक्रम करने के साथ–साथ कुछ विशिष्ट तिथि या तिथियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि इस प्रकार निर्धारित सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर प्रभावी बयान दर्ज किए जा सकें।

17. इस अदालत की राय है कि सभी आपराधिक मुकदमों में अदालतों को मुकदमे की शुरुआत में, यानी आरोपी को बुलाने और आरोप तय करने के बाद, प्रारंभिक मामला प्रबंधन सुनवाई करनी चाहिए।

यह सुनवाई आरोप तय होने के तुरंत बाद हो सकती है। इस सुनवाई में, अदालत को गवाहों की कुल संख्या पर विचार करना चाहिए, और उन्हें चश्मदीद गवाह, भौतिक गवाह, औपचारिक गवाह (जिन्हें दस्तावेज आदि पेश करने के लिए कहा जाएगा) और विशेषज्ञों के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। उस स्तर पर, अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या पक्षकार किसी भी दस्तावेज़ (विशेषज्ञों की रिपोर्ट सहित, या कोई भी दस्तावेज़ जो अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, या उस पर भरोसा किया जा सकता है) को स्वीकार करने की स्थिति में हैं। यदि ऐसा है, तो स्वीकार/अस्वीकृत करने की कवायद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 295 के तहत की जा सकती है। पीसी, जिसके लिए एक विशिष्ट तिथि तय की जा सकती है। रिकॉर्डिंग की अनुसूची

इसके बाद गवाहों को लगातार तारीखें देकर तय किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित प्रत्येक तिथि, गवाहों की एक विशिष्ट संख्या के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।

तथापि, संबंधित गवाह लगातार 2,3 तिथियों के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य हो सकते हैं, यदि उनके बयान समाप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा, यदि कोई गवाह पेश नहीं होता है, या उससे पूछताछ नहीं की जा सकती है, तो अदालत ऐसे उद्देश्य के लिए एक निश्चित तारीख का संकेत देगी। बयान की रिकॉर्डिंग

समय–निर्धारण की कवायद पूरी होने के बाद गवाहों को लिया जाएगा। इस न्यायालय ने मसौदा नियमों में उचित रूप से आवश्यक संशोधन किए हैं।

18. न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि पहले तीन मसौदा नियमों से संबंधित विषय वस्तु के संबंध में, राज्य और पुलिस

अधिकारियों को प्रत्येक राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले पुलिस नियमावली और अन्य संबंधित निर्देशों में आवश्यक और परिणामी संशोधन करने होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से पेश वकील ने आश्वासन दिया है मसौदा नियमों को शामिल करने के लिए उपयुक्त कदम–(1) चिकित्सा के साथ शरीर के रेखाचित्र से संबंधित–कानूनी प्रमाण पत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट [मसौदा नियम संख्या 1]; (2) कुछ मामलों में पोस्टमॉर्टम की तस्वीरें और वीडियो ग्राफ (मसौदा नियम संख्या 2) और (3) दृश्य मजार/स्पॉट पंचनामा (मसौदा नियम संख्या 3) जल्द से जल्द लिए जाएंगे।

19. अदालत की राय है कि आपराधिक नियमों का मसौदा

अभ्यास, 2021 (जो वर्तमान आदेश के साथ संलग्न हैं, और जिन्हें इसके हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा) को उपरोक्त चर्चा के संदर्भ में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

(क) सभी उच्च न्यायालय इसे शामिल करने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे।

उक्त मसौदा नियम, 2021 आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले नियमों के हिस्से के रूप में, और यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा नियम,

अधिसूचनाएँ, आदेश और अभ्यास निर्देश उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाते हैं, और घोषित किए जाते हैं (जहां भी आवश्यक हो)

आधिकारिक राजपत्र) आज से 6 महीने के भीतर। यदि इस संबंध में राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है, तो संबंधित विभाग या विभागों की मंजूरी,

और उक्त मसौदा नियमों की औपचारिक अधिसूचना,

छह महीने की उक्त अवधि के भीतर किया गया।

राज्य सरकारों के साथ–साथ भारत संघ (में)

(ख)

प्रपत्रों और दिशा–निर्देशों को लागू किया जाएगा और सभी एजेंसियों को छह महीने के भीतर तदनुसार निर्देश दिए जाएंगे। आज।

20. न्यायालय एतद्द्वारा तीन मित्रों श्री सिद्धार्थ लूथरा, श्री आर. बसंत (वरिष्ठ अधिवक्ता) और श्री के. परमेश्वर, अधिवक्ता के योगदान और प्रयास की सराहना और आभार व्यक्त करता है–उन्होंने सभी को ध्यान में रखते हुए बहुमूल्य सुझाव और असंख्य सुझाव दिए।

विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझाव, अदालत को सूचित किए गए और अत्यंत उपयोगी प्रस्तुतियाँ दी गईं। अदालत श्री ए. कार्तिक, सुश्री महक जग्गी और श्री एम. वी. की सराहना भी दर्ज करती है। मुकुंद, अधिवक्ता, जिन्होंने मित्र को बहुमूल्य सहायता प्रदान की।

21. स्वतः संज्ञान कार्यवाही का निपटारा उपरोक्त के संदर्भ में किया जाता है।

दिशा निर्देश।

अभ्यास पर प्रारूप आपराधिक नियम, 2021

अध्याय I. अनुसंधान

1. शरीर की त्वचा को चिकित्सा कानूनी रूप में स्वीकार करें

टी. आई. एफ. आई. सी. ए. टी., पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट और पूछताछ ओ. आर. टी.:

प्रत्येक मेडिको कानूनी प्रमाणपत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मानव शरीर के पीछे की ओर ए. टी. ई. डी. प्रारूप और चोटें, यदि कोई हों, शामिल होंगी।

इस तरह के रेखाचित्र पर इंगित किया जाए।

व्याख्याः मानव शरीर के मुद्रित प्रारूप में शामिल होंगे

मानव शरीर का एक सामने और पीछे का दृश्य जैसा कि प्रदान किया गया है

एक्सयूआर–ए

2. पोस्ट की तस्वीरें और वीडियो ग्राफ़

टी. ई. एम. इन सीर्टेन केस

पुलिस कार्रवाई में किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में [धारा के तहत]

आई.

46 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("Cr.PC") या धारा 129 से 131 (ID1>) या पुलिस हिरासत में मृत्यु, मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अस्पताल या प्रभारी डॉक्टर को इसकी व्यवस्था करने के लिए सूचित करेगा।

मृतक की पोस्टमॉर्टम जांच करने के लिए फोटो या वीडियोग्राफी। की तस्वीरें

मृतक को भी सभी मामलों में ले जाने की व्यवस्था की जाएगी।

इस तरह के फोटो और वीडियो ग्राफ या तो द्वारा लिए जाएंगे

ii.

एक पुलिस फोटोग्राफर या राज्य सरकार के एक नामित फोटोग्राफर की व्यवस्था करना, और जहां उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, एक स्वतंत्र या निजी फोटोग्राफर व्यस्त रहें।

इस तरह की तस्वीरों या वीडियो ग्राफ को जब्त कर लिया जाएगा।

iii.

पंचनामा या जब्ती ज्ञापन और परीक्षण के दौरान ऐसी तस्वीरों/वीडियो ग्राफ का उचित प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सभी कदम।

iv.

जाँच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी तस्वीरें

और वीडियोग्राफ, यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिए जाते हैं, तो पंचनामा या जब्ती ज्ञापन के तहत जब्त किए जाते हैं और इसके लिए कदम उठाए जाते हैं

मूल को सुरक्षित रखें, और सुनिश्चित करें कि प्रमाणपत्र के तहत

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी प्राप्त की जाती है और ली जाती है।

मुकदमे के दौरान साबित किया जाना।

वीडियो या तस्वीरों को एक अलग स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।

वी.

मेमोरी कार्ड, एक विधिवत प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत। जहां पोस्टमार्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किए जाते हैं,

vi.

विधिवत प्रमाणित, पोस्टमॉर्टम कार्यवाही वाली फाइल,
मेमोरी कार्ड के साथ एक संलग्नक के रूप में रखा जाना चाहिए
जब तक कि अलग-अलग मेमोरी कार्ड सक्षम नहीं हैं
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. दृश्य महजार/स्पॉट पंचनामा

किसी घटना के घटित होने के स्थान की एक स्थल योजना जाँच अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर भेजा जाए मजार या स्पॉट पंचनामा। स्थल योजना जाँच अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

ii.हाथ से, और खुलासा करेगा घटना का स्थान, वह स्थान जहाँ शरीर (या शरीर) था/थे पाया गया, वह स्थान जहाँ सामग्री और/या हथियार प्रदर्शित किए जाते हैं, रक्त के धब्बे और/या शरीर के तरल पदार्थ गिर गए थे,

वह स्थान जहाँ गोलियों के गोले, यदि कोई हों, पाए गए थे या प्रभाव डाला है, आबन प्रकाश का स्रोत, यदि कोई हो और

जी। आस-पास की प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाएँ या विशेषताएं जैसे दीवारें, गड्ढे, बाड़, पेड़/झाड़ियाँ, यदि कोई हों और

एच. संरचनाओं का उन्नयन और उनका स्थान।
जाँच अधिकारी द्वारा इस रेखाचित्र की तैयारी

iii.

पुलिस द्वारा तैयार की गई एक स्केल्ड साइट योजना का पालन किया जाएगा।
ड्राफ्ट्समैन, यदि उपलब्ध हो, या ऐसा अन्य अधिकृत या
राज्य सरकार द्वारा नामित ड्राफ्ट्समैन, जो
उस स्थान पर जाने के बाद स्केल्ड साइट प्लान तैयार करें।
मजार या पंचनामे में प्रासंगिक विवरण होगा

iv.

उक्त स्थल योजना में चिह्नित और सहसंबद्ध किया जाए।

आपराधिक मुकदमों में समानताओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

धारा 173 के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति,

डी 208 CR.PC

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाह के बयान और जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की एक सूची प्रदान की जाएगी और जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा धारा 207 और 208, सी. आर. पी. के अनुसार उन पर भरोसा किया जाएगा। पीसी।

व्याख्याः बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची में बयान, दस्तावेज,

भौतिक वस्तुएँ और प्रदर्शन जो उन पर निर्भर नहीं हैं

जाँच अधिकारी।

अध्याय ।।: चार्ज करें

ऑर्डर फ्रेमिंग चार्ज के साथ एक औपचारिक एन फॉर्म 32, अनुसूची ।।, Cr.P.C होगा जिसे जी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाएगा।

अध्याय ।।।: ट्रायल

प्रमाण का अभिलेखनः प्रक्रिया

गवाहों के बयान टाइप करके दर्ज किए जाएंगे। यदि संभव हो तो प्रारूप। साक्ष्य का अभिलेख, यदि उपलब्ध हो, न्यायालय में कंप्यूटर पर तैयार किया जाएगा।

पीठासीन अधिकारी। बशर्ते कि यदि बयान की भाषा अंग्रेजी या भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में दर्ज की जानी है

राज्य का पीठासीन अधिकारी एक साथ या तो स्वयं या एक के माध्यम से बयान का अनुवाद करेगा।

अंग्रेजी में कुशल अनुवादक।

बयान को गवाह की भाषा में और अंग्रेजी में दर्ज किया जाएगा जब इसका अनुवाद खंड में दिया गया है।

6 ((i)।

न्यायालय में पीठासीन अधिकारी द्वारा बयानों को बिना किसी अपवाद के पढ़ा जाएगा। पीठासीन अधिकारी/अदालत के अधिकारी द्वारा सही प्रति होने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित इस तरह से दर्ज की गई गवाही की हार्ड कॉपी अभियुक्त या [2021] 4 एस. सी. आर. का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को रसीद के बदले मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।

अभियुक्त, गवाह और अभियोजक को रिकॉर्डिंग की तारीख पर। प्रत्येक न्यायालय में एक अनुवादक उपलब्ध कराया जाएगा और

iv.

पीठासीन अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा।

पीठासीन अधिकारी के अनुरोध पर। पीठासीन अधिकारी अधिक साक्ष्य दर्ज नहीं करेंगे।

वी.

एक ही समय में एक से अधिक मामले।

7. प्रमाण का अभिलेखनः का प्रारूप

एन. ई. एस. ई. एस.

आई.

प्रत्येक गवाह के बयान को विभाजित करके दर्ज किया जाएगा। पैराग्राफ संख्या निर्धारित करने वाले अलग–अलग पैराग्राफ में।

अभियोजन पक्ष के गवाहों को पीडब्लू–1, पीडब्लू–2 के रूप में गिना जाएगा।

ii.

आदि, सीरियातिम में। इसी तरह, बचाव पक्ष के गवाह होंगे

सीरियाटिम में डी. डब्ल्यू.–1, डी. डब्ल्यू.–2, आदि के रूप में क्रमांकित। न्यायालय के गवाहों को सी. डब्ल्यू.–1, सी. डब्ल्यू.–2, आदि के रूप में गिना जाएगा।

सीरियटिम। बयानों का अभिलेख प्रमुख की तिथि को इंगित करेगा।

iii.

परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा।

iv.

पीठासीन अधिकारी जहां भी आवश्यक हो रिकॉर्ड करेंगे प्रश्न और उत्तर प्रारूप में बयान।

अभियोजन या बचाव पक्ष के वकील द्वारा आपत्तियाँ

साक्ष्य पर ध्यान दिया जाएगा और साक्ष्य में प्रतिबिंबित किया जाएगा और कानून के अनुसार, या विद्वान न्यायाधीश के विवेक पर, विचाराधीन गवाह के बयान के अंत में तुरंत निर्णय लिया जाएगा गवाह का नाम और संख्या स्पष्ट रूप से बताई जाएगी।

vi.बाद की किसी तारीख को, यदि साक्ष्य पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है जिस तारीख को यह शुरू होता है।

8. भौतिक उद्देश्यों का निष्पादन और नृत्य अभियोजन प्रदर्शनी को प्रदर्शनी पी–1, पी–2 के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

सीरियातिम में आदि। इसी तरह, रक्षा प्रदर्शनियों को क्रमिक रूप से प्रदर्शनी डी–1, डी–2, आदि के रूप में चिह्नित किया जाएगा। न्यायालय प्रदशनी को श्रृंखला में प्रदर्शनी सी–1, सी–2, आदि के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आईएसयूई प्रमाण निर्देश v. आंध्र प्रदेश राज्य

उस गवाह का आसानी से पता लगाने के लिए जिसके माध्यम से दस्तावेज़ को पहली बार साक्ष्य में पेश किया गया था, प्रदर्शनी संख्या में प्रदर्शनी संख्या के बाद ऐसे गवाह की गवाह संख्या दिखाई जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनी को उचित प्रमाण के बिना चिह्नित किया जाता है,

उसी को कोष्ठक में दिखाकर इंगित किया जाएगा (प्रमाण के अधीन)।

व्याख्याः यदि अभियोजन पक्ष गवाह नं। 1 (पीडब्लू1) साक्ष्य में एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, उस दस्तावेज़ को प्रदर्शनी पी–1/पीडब्लू1 के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यदि उस दस्तावेज़ के लिए उस समय उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है जब इसे चिह्नित किया जाता है, तो इसे प्रदर्शनी पी–1/पीडब्लू 1 (प्रमाण के अधीन) के रूप में चिह्नित किया जाएगा। पीडब्लू1 द्वारा प्रस्तुत दूसरा दस्तावेज़ प्रदर्शनी पी–2/पीडब्लू1 होगा। भौतिक वस्तुओं को क्रमिक रूप से एमओ–1 के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

एमओ–2 आदि।

प्राप्त करने के लिए विषयगत संदर्भ,

एस. एस., निर्यात और भौतिक उद्देश्य

आरोप तय करने के बाद, अभियुक्त को केवल आरोप में अभियुक्तों की श्रेणी में उनके रैंक द्वारा संदर्भित किया जाएगा, न कि उनके नाम या अन्य संदर्भों द्वारा, सिवाय इसके कि –

गवाह द्वारा पहचान का चरण।

गवाहों के बयान दर्ज करने, प्रदर्शनों और भौतिक वस्तुओं को चिह्नित करने के बाद, बयान दर्ज करते समय

अन्य संदर्भ। जहाँ शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उद्धृत गवाह हैं यदि जाँच नहीं की जाती है, तो उन्हें शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उनके नाम और उन्हें आवंटित नंबरों से संदर्भित किया जाएगा।

खंड के तहत बयानों का उल्लेख

164 सीआरपीसीः

संबंधित गवाह का खंडन करने वाले को निकाला जाएगा। अगर ऐसा है यदि उपरोक्त प्रासंगिक भाग को निकालना संभव नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी अपने विवेकाधिकार पर विशेष रूप से [2021] 4 एस. सी. आर. का संकेत देगा।

विशिष्ट अंकन के माध्यम से बयान दर्ज करते समय ऐसे प्रासंगिक भाग के उद्घाटन और समापन शब्द।

ii. ऐसे मामलों में, जहां संबंधित भाग नहीं निकाला जाता है,

केवल भागों को स्पष्ट रूप से अभियोजन या बचाव प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाएगा, ताकि साक्ष्य के अन्य अस्वीकार्य भाग मामले का हिस्सा न हों।

रिकॉर्ड करें।

ऐसे मामलों में, जहां संबंधित भाग नहीं निकाला जाता है,

iii.

स्वीकार्य भाग को स्पष्ट रूप से अभियोजन या बचाव प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

iv.

उपरोक्त नियम बयानों को दर्ज करने पर लागू होता है।

धारा 161 के तहत उत्परिवर्तन इस पर लागू होंगे Cr.PC की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान, जब भी जीवित व्यक्तियों के पूर्व बयानों के ऐसे हिस्से

इनका उपयोग विरोधाभास/पुष्टि के लिए किया जाता है।

धारा 161 के तहत पूरे कथन का सर्वव्यापी अंकन और

वी.

164 Cr.P.C नहीं किया जाएगा।

11. सम्मेलन संबंधी वक्तव्यों की अंकन

पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 या धारा 27 का केवल स्वीकार्य भाग चिह्नित किया गया है और अकेले ऐसे हिस्से को एक अलग शीट पर निकाला जाता है और चिह्नित किया जाता है और एक प्रदर्शनी संख्या दी जाती है।

अध्याय IV: न्यायनिर्णायक

12. प्रत्येक निर्णय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

एक प्रस्तावना के साथ शुरू करें जिसमें पार्टियों के नाम बताए गए हैं।

आई.

नियमों के लिए फॉर्म ए। नियमों के फॉर्म बी के अनुसार एक सारणीबद्ध कथन।

ii.

अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची देने वाला एक परिशिष्ट,

III.

बचाव पक्ष के गवाह, अदालत के गवाह, अभियोजन प्रदर्शनी, बचाव प्रदर्शनी और अदालत की प्रदर्शनी और सामग्री वस्तुएँ

नियमों के फॉर्म सी के अनुसार।

13. धारा 354 और 355 Cr.PC के अनुपालन में, सभी मामलों में, निर्णयों में शामिल होंगेः

इन आरईः आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

निर्धारण के लिए बिंदु या बिंदु,

उस पर निर्णय, और

ii.

निर्णय के कारण

iii.

14. दोषसिद्धि के मामले में, निर्णय अलग से शामिल अपराध और दी गई सजा को इंगित करेगा। यदि कई हैं

अभियुक्त, उनमें से प्रत्येक के साथ अलग–अलग व्यवहार किया जाएगा। बरी होने के मामले में और यदि अभियुक्त कारावास में है, तो अभियुक्त को रिहा करने का निर्देश दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियुक्त किसी अन्य मामले में हिरासत में न हो। 15. निर्णय में अभियुक्त, गवाह, प्रदर्शन और भौतिक वस्तुओं को उनके नामकरण या संख्या द्वारा संदर्भित किया जाएगा और नहीं

केवल उनके नाम से या अन्यथा। जहाँ कहीं भी अभियुक्त या गवाहों को उनके नाम से संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, वहाँ संख्या कोष्ठक के भीतर इंगित की जाएगी।

16. निर्णय पैराग्राफ और प्रत्येक में लिखा जाएगा।

पैराग्राफ को सीरियाटिम में क्रमांकित किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी, अपने विवेकानुसार, निर्णय को विभिन्न धाराओं में व्यवस्थित कर सकते हैं।

पाँचवाँ अध्यायः असंसदीय

17. बैइल

आई.

गैर–जमानती मामलों में जमानत के लिए आवेदन सामान्य रूप से होना चाहिए।

पहली सुनवाई की तारीख से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाए। यदि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आदेश में ही इसके कारण प्रस्तुत करेगा। आदेश की प्रति और जमानत आवेदन या स्थिति रिपोर्ट (पुलिस या अभियोजन पक्ष द्वारा) का जवाब, यदि कोई हो, आदेश की घोषणा की तारीख को अभियुक्त और अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

स्वयं।

पीठासीन अधिकारी, एक उपयुक्त मामले में, अपने

ii.

विवेकाधिकार अभियोजक द्वारा दायर किए जाने वाले बयान पर जोर देता है मामले के प्रभारी।

संरक्षकों का विभाजन और

18 .

अन्वेषक राज्य सरकारें जाँच के दौरान जाँच अधिकारी को सलाह देने के लिए लोक अभियोजकों के अलावा अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेंगी।

19. अनुभवी परीक्षण के लिए निर्देश

प्रत्येक जांच या मुकदमे में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी –

जितनी जल्दी हो सके, और, विशेष रूप से, जब

एक बार गवाहों की जाँच शुरू हो जाने के बाद, यह दिन–प्रतिदिन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जाँच नहीं हो जाती, जब तक कि अदालत को कारण दर्ज करने के लिए अगले दिन से आगे का स्थगन आवश्यक न लगे। (धारा 309 (1) Cr.PC.)। इस उद्देश्य के लिए, शुरुआत में, और आरोप तय करने के तुरंत बाद, अदालत एक समयबद्ध सुनवाई करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके और साक्ष्य दर्ज करने के लिए लगातार तारीखें तय की जा सकें कि क्या गवाह सामग्री हैं, या चश्मदीद गवाह हैं, या औपचारिक गवाह हैं या विशेषज्ञ हैं। इसके बाद अदालत लगातार तारीखों का संकेत देते हुए एक अनुसूची तैयार करेगी, जब गवाहों को

जाँच की गई; यह एक तारीख को गवाहों के बयानों के एक सेट की रिकॉर्डिंग निर्धारित करने के लिए खुला है, और अगली तारीख को, अन्य सेट, और इसी तरह। अदालत, मुकदमा शुरू होने से पहले, यह भी पता लगाएगी कि क्या पक्ष धारा 295 के तहत किसी दस्तावेज को स्वीकार करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा करने की अनुमति देगी, जिसके बाद मुकदमे के लिए ऐसी लगातार तारीखें तय की जाएंगी।

मुकदमा शुरू होने के बाद, यदि अदालत को यह पता चलता है

ii.

किसी भी जांच या मुकदमे के प्रारंभ को स्थगित करने या स्थगित करने के लिए आवश्यक या उचित, यह समय–समय पर,

दर्ज किए जाने वाले कारणों को ऐसी शर्तों पर स्थगित या स्थगित किया जाना चाहिए जो वह उचित समझती है, ऐसे समय के लिए जो वह उचित समझती है। यदि गवाह उपस्थित होते हैं तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगा। (धारा 309 (2) Cr.PC.)।

सत्र मामलों को अन्य सभी कार्यों पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

iii. और सत्र के दिनों में तब तक कोई अन्य काम नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सत्र का काम पूरा न हो जाए। एक बार पोस्ट किए गए सत्र मामले को तब तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह अपरिहार्य न हो, और एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे आरई में आगे बढ़ना चाहिएः

आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

आज दिन से लगातार इसे पूरा करने तक। अगर किसी के लिए

कारण, एक मामले को स्थगित या स्थगित करना पड़ता है, सूचना
दोनों पक्षों को तुरंत और तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए
गवाहों को रोकने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ले जाया जाए
स्थगित तिथि पर।

फॉर्म ए

अदालत में।

सत्र न्यायाधीश

वर्तमानः .....

[निर्णय की तिथि]

[मामला सं./2019]

(एफ. आई. आर./अपराध और पुलिस स्टेशन का विवरण)

शिकायतकर्ता

स्टेट ऑफ.

या

शिकायतकर्ता का नाम

द्वारा प्रस्तुत किया गया

अधिवक्ता का नाम

1. सभी भागीदारों के साथ नाम (ए1)

स्वीकार किया गया

2. सभी भागीदारों के साथ नाम (ए2)

द्वारा प्रस्तुत किया गया

अधिवक्ताओं के नाम

फॉर्म बी

अपराध की तिथि एफ. आई. आर. की तिथि

शुल्क तय करने की तिथि साक्ष्य शुरू होने की तिथि

जिस तारीख को फैसला सुरक्षित रखा गया है

फैसले की तारीख

सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो

अभियुक्त विवरणः

अपराधों की तिथि के नाम की श्रेणी

क्या

अवधि

नजरबंदी

बरी या आरोपित किया गया

द.

अभियुक्त की गिरफ्तारी

रिहाई का शुल्क लिया गया

आरोपित

के साथ जमानत पर

दोषी ठहराए गए

गु

जर चुका है।

प

रीक्षण के दौरान

उद्देश्य के लिए

धारा 428,

फॉर्म सी

संरक्षण/रक्षा/न्यायालयों की सूची

ए. अभियोजन

रैंक

नाम

प्रमाण की प्रकृति

(आई विट्नेस, पुलिस विट्नेस, एक्सपर्ट गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

पीडब्लू1

पीडब्लू2

ख. बचाव पक्ष के गवाह, यदि कोई हों;

रैंकक नाम

प्रमाण की प्रकृति (आई विटनेस, पुलिस विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, मेडिकल विटनेस, पंच विटनेस, अन्य विटनेस)

डी. डब्ल्यू1 डी. डब्ल्यू. 2

ग. न्यायालय के गवाह, यदि कोई हों;

रैंक। नाम

प्रमाण की प्रकृति

(आई विट्नेस, पुलिस विट्नेस, एक्सपर्ट विट्नेस, मेडिकल विट्नेस, पंच गवाह, अन्य गवाह)

सीडब्ल्यू1 सीडब्ल्यू2

संरक्षण/रक्षा/न्यायालय प्रदर्शनों की सूची

ए. अभियोजनः

संख्या प्रदर्शित करें

श्री.

वर्णन

नहीं।

1 पी–1/पीडब्लू1 प्रदर्शित करें

2 पी–2/पीडब्लू2 प्रदर्शित करें

B. रक्षा

संख्या प्रदर्शित करें

श्री.

वर्णन

नहीं।

1 डी-1/डी. डब्ल्यू. 1 प्रदर्शित करें

2 आरई में डी-2/डीडब्ल्यू2 प्रदर्शित करें:

आपराधिक मुकदमों में असमानताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्र जारी करना v. आंध्र प्रदेश राज्य

ग. न्यायालय प्रदर्शनी

संख्या प्रदर्शित करें

वर्णन

श्री.

नहीं।

1 सी-1/सी. डब्ल्यू. 1 प्रदर्शित करें

2 सी-2/सी. डब्ल्यू. 2 प्रदर्शित करें

D. भौतिक वस्तुएँ:

सामग्री वस्तु विवरण

श्री.

कोई संख्या नहीं

1 एमओ 1

एमओ 2

2

कार्यवाही का निपटारा किया गया।